न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 182/2025 बउनवानी श्रीमति लुबाना बनाम तहसीलदार सवाईमाधोपुर
पत्नि श्री इकरामुद्दीन निवासी आकाशवाणी के पीछे गौत्तम कॉलोनी स0मा0

GCMS No-2025/361

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
18.12.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 18.2.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " **प्रार्थीया के पति इकरामुद्दीन पुत्र स्व0 श्री रकीमुद्दीन निवासी गुलाब बाग, वर्तमान मे तहसील कार्यालय सवाईमाधोपुर मे पदस्थापित है जिसके वेतन पे–ग्रेड, कर्मचारी के आश्रितों का विवरण, आरजीएचएस कार्ड की प्रमाणित प्रति।**" तहसीलदार सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक आरटीआई/2025/204 दिनांक 4.11.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 18.2.2025 मे चाही गयी सूचना श्री इकरामुद्दीन की व्यक्तिगत सूचना होने के कारण श्री इकरामुद्दीन द्वारा दिनांक 19.2.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसकी व्यक्तिगत सूचना किसी को भी उपलब्ध नही करवाने बाबत निवेदन किया है। इस प्रकार चाही गयी सूचना श्री इकरामुद्दीन की व्यक्तिगत सूचना होने के कारण अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के तहत देय नही होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है जिसके संबंध मे तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्रांक 146 दिनांक 28.11.2025 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 18.2.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी व्यक्तिगत सूचना होने के कारण अपीलान्ट को दिया जाना आवश्यक नही है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner